फर्द अहकाम

ममता देवी बनाम कजोड वगै0

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 15/2025

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.06.2025	अधिवक्ता श्री कैलाश चंद सांसी द्वारा वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 11.07.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	11.7.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप0। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 1/8/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	1.8.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप0। पूर्वादेश की पालना हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 19/9/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
	19.9.25	पत्रावली पश हुइ। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है. पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 13/10/25 को पेश हो	
	13.10.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/10/25 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :–**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

केस सं.   /202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे...
	17.10.25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा ... अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 29/10/25 को पेश हो।	
	29.10.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/11/25 को पेश हो।	
	7.11.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/11/25 को पेश हो।	
	14.11.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/11/25 को पेश हो।	
	21.11.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप०। प्रतिवादीगण के तामील सम्मन मय रजि. Ad. रसीद पेश। शा. मि. रहे। पत्रावली वास्ते पेश होने डिलीवरी स्टेटमेंट दिनांक 26.11.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	26.11.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 5.12.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	5.12.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के तामील डिलीवरी स्टेटमेंट पेश। शा. मि. रहे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 8.12.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :–उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं.   / 202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8.12.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10.12.25 को पेश हो।	
	10.12.25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 15.12.25 को पेश हो।	
	15.12.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2,4,6 व 9,13,15,16,17,19,20 की तामील पर्याप्त। शेष प्रतिवादी की तलबी हेतु पुनः सम्मन तलबाना पेश करे। प्रतिवादी सं. 2,4,6 व 9,13,15,16,17,19,20 को उपस्थिति हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/12/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर	
	22.12.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2,4,6 व 9,13,15,16,17,19,20 के विरुद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 1,3,5,10,11,12,14,18 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 2/1/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर	
	2.1.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया एवं स्वयं वादीया अनुपस्थित। वादीया को बाद न्यायालय में पृथक-पृथक समय पर तीन तीन बार आवाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी वादीया के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के	

फर्द अहकाम

बनाम

ायालय का नाम :–**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

स सं. 115 / 2025...

. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश-9 नियम-3 जा.दी. के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज की गयी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर	

Reader
dSG
16.06.25

भारत INDIA COURT FEE 5रु. Rs.5 पांच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जोबनेर जिला जयपुर राज0

वाद सं0....115../25

<u>वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 जा0दी0</u>

ममता देवी पत्नि बाबूलाल जाति जाट उम्र 36 साल निवासी किशना बाबा की ढाणी, कूडियो का बास, जोरपुरा सुंदरियावास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

...वादीया

बनाम

1- कजोड पुत्र नोपा

2- कमली देवी पत्नि छीतरमल

3- कैलाश चन्द पुत्र रुपनारायण

4- कालूराम पुत्र रामनारायण

5- नानछी देवी पत्नि रामनारायण

6- बुद्वाराम पुत्र किशनाराम

समस्त जाट निवासी कूडियो का बास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

7- राहुल चौधरी पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी सबरामपुरा तहसील कालवाड जिला जयपुर राज0

8- रोशन चौधरी पुत्र धन्नाराम चौधरी जाति जाट निवासी सबरामपुरा तहसील कालवाड जिला जयपुर राज0

9- लालाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट

10- श्रवण पुत्र मंगला जाति जाट

11- सूजाराम पुत्र जोधा जाति जाट

12- सरजूदेवी पत्नि गंगाराम जाति जाट

समस्त निवासीगण कूडियो का बास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

ममता

13- सूरज चौधरी पुत्र रमेशचन्द जोति जाट निवासी सबरामपुरा तहसील कालवाड जिला जयपुर राज0

14- कानीदेवी पत्नि भोलूराम जाति जाट निवासी कूडियो का बास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

15- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा तहसील जोबनेर जरिये प्रबन्धक

16- आईडीबीआई बैंक लि0 शाखा चम्पापुरा जरिये प्रबन्धक

17- आईडीबीआई बैंक लि0शाखा वैशालीनगर जयपुर ज़रिये प्रबन्धक

18- राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हिरनोदा जरिये प्रबन्धक

19- तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

20- सब रजिस्ट्रार जोबनेर जिला जयपुर

..प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 53 व188 रा0टी0ऐ0

मान्यवरजी,

वादीया की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1- यह कि वादीया व प्रतिवादी सं01ल014 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी वाकै ग्राम कूडियो का बास पटवार हल्का कूडियो का बास भू0अभि0नि0क्षेत्र करणसर तहसील जोबनेर की आराजी **खाता सं0 नया 115 पुराना 98** की आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 8.4089 हेक्टेयर में वादीया का 1/24 हिस्सा है व शेष हिस्सा प्रतिवादी सं01ल013 के जमाबंदी में दर्ज राजस्व रिकोर्ड के अनुसार अंकित है इसी प्रकार **खाता संख्या-नया 116 पुराना 97 की आराजी** खसरा नंबर 137 रकबा 0..

ममता

2655 हेक्टेयर व खसरा नंबर 153 रकबा 0.1644 हेक्टेयर है जिसमें वादिया का 1/24 हिस्सा है शेष हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी सं01ल014 की खातेदारी में दर्ज है इसी प्रकार **खाता संख्या नया 119 पुराना 100** की आराजी खसरा नं बर 56/2 रकबा 2.1497 हेक्टेयर में वादियसा का 1/6 हिस्सा है शेष हिस्सा प्रतिवादी सं06,9, 11 व 12 के खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में जमाबंदी के अनुसार अंकित हैं। उपरोक्त आराजीयात को वादीया व प्रतिवादी सं01ल014 अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर भूमि की काश्त करते है एवं उपयोग व उपभोग करते है एवं लगान अदा करते आये है।

2- यह कि उपरोक्त आराजीयात को पक्षकारान की अविभाजित आराजीयात है जिसका विधिक रूप से किसी प्रकार से विभाजन नही हो रखा हैं वादीया ने प्रतिवादी सं01ल014 को कई बार विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा किन्तु हमेशा प्रतिवादी सं01ल014 ने वादीया को यही आश्वासन दिया कि सभी का अपने अपने हिस्सेनुसार भूमि पर कब्जा काश्त है और जब भी गांव में राजस्व शिविर लगेगा तब आराजी का विभाजन सहमति से हिस्सेनुसार करवा लेगे जिससे वादीया प्रतिवादीगण की बातो

ममता

पर विश्वास करते हुये अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करती आ रही है। वादग्रस्त भूमि में वादीया व प्रतिवादी सं01ल014 का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है जिसका विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3- यह कि आजकल जमीनो के भाव बढ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया है और प्रतिवादीगण बिना विधिक विभाजन करवाये ही भूमि को बेचान करने को उतारू है एवं मनचाही जगह कब्जा करवाना चाहते हैं जिसकी वजह से प्रतिवादी गण ने एक राय कर ली है और वे वादीया को उसके हक व हिस्से से वंचित करना चाहते है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं करवाना चाहते है व मनचाही जगह कब्जा कर वादीया को उसके हक व हिस्से की भूमि से महरूम करने पर आमादा है। इसी वजह से प्रतिवादीगण दिनांक 10/6/2025 को वादग्रस्त आराजी पर अजनबी व्यक्तियो को लाकर मनचाही जगह से भूमि बेचान करने का सौदा करने लगे जब वादिया ने इनको ऐसा करने से मना किया और विधिवत रूप से विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये और मनचाही जगह से भूमि

ममता

बेचान करने की धमकी दी इसलिए वादीया को यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

4- यह कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाये मनचाही जगह से अजनबी दीगर क्रेताओ को भूमि का बेचान करके मनचाही जगह अच्छी भूमि पर कब्जा करवा कर वादीया को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल कर दिया तो वादी के हक व अधिकार प्रभावित होगे जिससे वादीया को सख्त हक तलफी होगी एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी व कानूनी पैचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

5- यह कि वादकारण विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 10/6/2025 को अजनबी व्यक्तियो को लाकर भूमि दिखाकर मनचाहे जगह से बिना विधिक विभाजन करवाये भूमि का बेचान करने की धमकी देने व वादीया को बेदखल करने की धमकी दिये जाने से बमुकाम कूडियो का बास तहसील जोबनेर जिला जयपुर उत्पन्न हुआ जो

ममता

श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है व श्रीमान् को वाद की सुनवायी का अधिकार प्राप्त है।

6- यह कि प्रतिवादी सं015 लगायत 18 के भूमि रहन होने से तथा प्रतिवादी सं019 लैण्ड होल्डर सरकार होने से एवं प्रतिवादी सं0 20 सब रजिस्ट्रार होने से उनको आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

7- यह कि बेअदाय कोर्ट फीस दावा तकासमा आराजी व स्थायी निषे0 अ0धारा 53 व 188रा0टी0ऐ0 के तृ0परि0के अनुसार 2/-रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है जो पर्याप्त है।

8- यह कि वादीया निम्न प्रार्थना के अधिकारी हैः-

क- यह कि वादीया का वाद बाबत विभाजन का डिकी फरमाया जाकर वादीया व प्रतिवादी सं01ल014 के मध्य वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त के मद नंबर 1 में वर्णित का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी (बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड) के आधार पर विभाजन किया जाकर नक्शे कुर्रेजात मंगवाये जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाकर अंतिम डिकी पारित की जावे व लगान की फाटबंदी की जावे तथा मुताबिक डिकी पक्षकारान के राजस्व रिकोर्ड में उनके खातेदारी में उनके हक प हिस्से की भूमि का अमल दरामद करवाया जावे।

ख- यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषे0 से पाबंद किया जावे कि वे वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित भूमि वाकै कूडियो का

ममता

बास तहसील जोबनेर में वादीया के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, तथा ना ही बिना विधिक विभाजन करवाये भूमि को रहन बैय मुंतकिल/बेचान/हस्तांतरण करे, व मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथावतस्थिति बनाये रखे।

ग- यह कि डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार जोबनेर को लिखा जाकर अमल दरामद करवाया जावे।

घ- यह कि अन्य सहायता जो न्यायहित में वादीया के पक्ष में हो दिलवायी जावे व खर्चा मुकदमा भी वादिया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादी

ममता

सत्यापन

मैं ममता देवी पत्नि बाबूलाल जाति जाट उम्र 36 साल निवासी किशना बाबा की ढाणी, कूडियो का बास, जोरपुरा सुंदरियावास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 का हूं और आज दिनांक....................को बमुकाम सांभर सत्यापित करता हूं कि वाद पत्र का मद नंबर 1ल05 मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है व मद नंबर 6 व 7 कानूनी है व मद नंबर 8 प्रार्थना है जो भी सही व सत्य है कोई तथ्य नहीं छिपाये है।

सत्यापनकर्ता

ममता

ममता

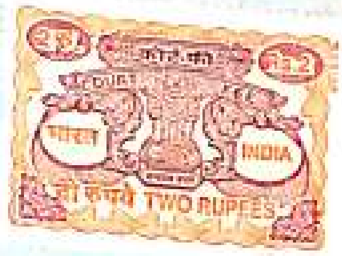

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान

वाद पत्र सं0....

ममता देवी बनाम कजोड व अन्य

वाद विभाजन व स्थायी निषे0

शपथ पत्र

मैं ममता देवी पत्नि बाबूलाल जाति जाट उम्र 36 साल निवासी किशना बाबा की ढाणी, कूडियो का बास, जोरपुरा सुंदरियावास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 का हूं और निम्न प्रकार सशपथ बयान करता हूं कि

1- मैं सशपथ बयान करता हूं कि वाद पत्र का मद नंबर 1ल05 मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है व मद नंबर 6 व 7 कानूनी है व मद नंबर 8 प्रार्थना है जो भी सही व सत्य है कोई तथ्य नहीं छिपाये है।

2- यह कि मद नंबर 1ल08 को इस शपथ पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर पढा व समझा जावे।

शपथग्रहिता
ममता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता आज दिनांक 16/06/2025 को बमुकाम जोबनेर सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र का मद नंबर 1ल02 मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है कोई तथ्य नहीं छिपाये है।

सत्यापनकर्ता
ममता